

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(14)वित्त/कर/2020

जयपुर, दिनांक 08.10.2020

आदेश


राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2020-21 की दिनांक 29.09.2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में सम्पन्न बैठक की अभिशंषा पर निम्नांकित उपायुक्तों को योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त के पद पर उनके समक्ष अंकित रिक्ति उपलब्धता तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1	श्री शिवदयाल मीणा	अजजा (अनारक्षित पद के विरुद्ध)	01.04.2020
2	श्री अंजनी कुमार शर्मा		01.04.2020
3	श्री दिनेश चन्द गुप्ता		01.12.2020
4	श्री आदर्श लोहिया	अजा	01.02.2021
5	श्री आर.पी.बैरवा	अजा	01.03.2021

क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहें एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।


यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली


(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)